**संख्या-266/2020/4165/41-2020-03(सा0)/2020**

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक 19 नवम्बर, 2020**

**विषयः- जनपद- मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॅारीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने की परियोजना हेतु स्वीकृत की गई धनराशि को जिलाधिकारी मीरजापुर के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3694/6-1-1/(1072)/2019-20 दिनांक 05 नवम्बर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॅारीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्गत शासनादेश सं0- 252/2020/4113/41-2020-03 (सा0)/2020 दिनांक 03 नवम्बर 2020 के क्रम में विन्ध्यवासिनी मंदिर के आस-पास चारों ओर 50 फीट चौडाई वाले परिक्रमा पथ के अंदर आने वाली कुल 92 परिसम्पत्तियों एवं भूमि क्रय हेतु जिनका कुल क्षेत्रफल 2542.78 वर्ग मीटर , आवासीय भूमि/भवनों संख्या 25, व्यवसायिक भूमि/भवन की संख्या 67, कुल भूमि / भवन का मूल्यांकन (सर्किल दर का दोगुना) लगभग रू0-1941.44 लाख की लागत का उल्लेख करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजी लेखामद में मद सं0-27 मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ एवं मद सं0-36-विन्ध्याचल का पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 20.00 करोड़ की धनराशि को जिलाधिकारी मीरजापुर के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-2794/6-1-1/ (1072)/2019-20 दिनांक 30.09.2020 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी जाने वाली प्रश्नगत रू0 20.00 करोड़ की धनराशि से प्रथम चरण के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के क्रियान्वयन हेतु **कार्यदायी संस्था का चयन परिसम्पत्तियों एवं भूमि के क्रय के उपरान्त किया जायेगा।**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कॅारीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-27 जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड मात्र)** को जिलाधिकारी , मीरजापुर के निवर्तन पर निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन रखा जाता हैः-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण /क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत ही की गयी है।

(4) प्रायोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा- वित्तीय एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48 )/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा तथा अप्रयुक्त अथवा अवशेष धनराशि को दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाया।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निवर्तन पर रखी गई धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्तिच किया जायेगा।

(11) उक्त शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन महानिदेशक पर्यटन/पर्यटन निदेशालय के वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित अधिकारी एवं जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निवर्तन पर रखे जाने का यह आदेश जिलाधिकारी मीरजापुर एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि उक्त सूचना/विवरण में कोई विसंगति या त्रुटि पयी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) यह महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व मे किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा प्रस्तावित कार्यों में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(14) प्रायोजना के कार्य हेतु वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, पर्यटन का होगा ।

(16) प्रश्नगत आदेश महानिदेशक, पर्यटन एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव क्रम में निर्गत किया जा रहा है और यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित का होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7- 1128/दस-2020 दिनांक. 19 नवम्बर ,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

**<u>संख्या- 266/2020/4165(1)/41-2020-03(सा0)/2020 तद्दिनॉक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डल आयुक्त ,विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4- जिलाधिकारी , मीरजापुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

( शिव पाल सिंह )
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in